COURT FEE 20 रु. Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
COURT FEE 10 रु. Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निग./2018 – शिवपुरी

I/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2018/1260

श्री कुंवर सिंह कुशवाह द्वारा आज दि० 13.2.18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 23.2.18 नियत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 13.2.18 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

सुदर्शन सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह रघुवंशी,
निवासी –घटावदा, तहसील ईसागढ,
जिला अशोकनगर (म0प्र0)

–– निगरानीकर्ता

बनाम

मध्यप्रदेश शासन –– गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश अपर कलेक्टर, जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 30/93–94 शासन बनाम सुदर्शन सिंह में पारित आदेश दिनांक 24.01.1993, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 27.12.2017 को प्राप्त।

– 2

श्रीमान् जी,

निगरानी के आधार निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि–विधान, क्षेत्राधिकार वाह्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय ने रिकॉर्ड सूक्ष्मता से अध्ययन किये बिना जो आदेश पारित किया है, वह निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सूचना, बिना पक्ष समर्थन के किया गया आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।
4. यहकि, तत्कालीन समय में निगरानीकर्ता के पास इतनी जमीन नहीं थी कि वह पात्रता में नहीं आता है। जमीन कम होने के कारण ही निगरानीकर्ता ने भूमि व्यवस्थापित करने हेतु आवेदन दिया, ट्रायल न्यायालय ने वैधानिक रीति से सम्पूर्ण जॉच करने के उपरांत मेरे को भूमिहीन की श्रेणी में पाया, उसके पश्चात मुझे उक्त भूमि आबंटित की गयी। इस तथ्य को नजरअंदाज कर किया गया आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

कुंवर सिंह कुशवाह (एडवोकेट) 13/2/18

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
अग्रिम प्रति........
पृष्ठ क्र.......से........
दिनांक 13/2/18
हस्ताक्षर व नाम........

(31)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक एक/निग/अशो0/भू0रा0/18/1260

सुदर्शनसिंह विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-03-18	प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कुंअर सिंह कुशवाह उपस्थित। अनावेदक शासन की ओर से श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित । 2- प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से वहीं तथ्य प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है जिन्हें पुनरांकित कर दुहराए जाने की आवश्यकता नहीं हैं। निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के आधार पर निगरानी सुनवाई हेतु ग्राहय करने का अनुरोध किया गया। अनावेदक शासन के अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यही कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश विधि अनुसार जारी किया गया है जिसे शासन हित में स्थिर रखा जाकर निगरानी अग्राहय करने का अनुरोध किया गया। 3- प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों पर भी विचार किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 24.01.93 की प्रमाणित प्रति का भी अवलोकन कर शूक्ष्मता से परीक्षण	

प्रकरण क्रमांक एक/निग/अशो0/भू0रा0/18/1260

सुदर्शनसिंह विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन

किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश में प्रकरण में उपस्थित समस्त पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए विस्तृत रूप से विवेचना की जाकर स्पष्ट एवं बोलता हुआ नीतिगत आदेश पारित किया है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश में विस्तृत विवेचना किए जाने से यहां विवेचना को पुनरांकित नहीं किया जा रहा है किन्तु उस पर विचार किया गया है। विचारोपरांत उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में प्रकरण में कायमी हेतु पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी अग्राहय की जाती है। प्रकरण दा.रि.हो।

(डॉ0एम0के0अग्रवाल)
सदस्य